भारत में असुरक्षित महिलाएँ : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 भारती रस्तोगी*

प्रस्तावना

पिछले कुछ दशकों से महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने की दृष्टि से पूरे विश्व में अनेक अध्ययन हो रहे हैं। किसी भी समाज में महिलाएँ कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग निर्मित करती हैं। ऐसे में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का समाज के सन्तुलित विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अनेक साहित्यों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि महिलाओं की निम्न स्थिति का मुख्य कारण उनकी शारीरिक संरचना है, वे जैविकीय दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती हैं जिसके कारण अत्यधिक कठिन तथा परिश्रम वाले कार्य करने में वे अक्षम होती हैं। इसीलिए समाज में उन्हें अपेक्षाकृत सरल कार्य सौंपे गये। महिलाओं में शक्तिहीनता का एक मुख्य कारण उनका प्रजनन गुण भी है। शिशुओं को जन्म देने तथा उनके लालन–पालन के दौरान वे प्रायः अधिक परिश्रम वाले कार्य नहीं कर पाती हैं। यही कारण है जिससे सरल आदिम समाज में स्त्री–पुरुष के मध्य प्रथम श्रम–विभाजन हुआ (हैरलम बॉस एवं हेल्ड, 2000)। जार्ज पीटर मरडॉक ने आदिम समाजों से लेकर आधुनिक समाज तक 224 समाजों के अध्ययन में पाया कि जैविकी दृष्टि से दुर्बल या नाजुक होने के कारण समाज में स्त्रियों को हल्के–फुल्के ही कार्य सौंपे गये (मरडॉक, 1949)। टॉलकट पारसंस ने भी स्त्री–पुरुषों की लैंगिक भूमिकाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब परिवार के प्रकार्य पूर्ण रूप से सम्पादित हों। पारसंस मानते हैं कि परिवार के मुख्य दो प्रकार्य हैं– 1) शिशुओं का प्रारम्भिक समाजीकरण, 2) वृद्धजनों की देखभाल, इन दोनों कार्यों में धन अर्जन का कार्य पुरुष करते हैं और स्त्रियांघर के सदस्यों की देखभाल करती हैं (पारसंस, 1959)। यह कहा जा सकता है कि आरम्भ में समाज के सुचारू संचालन हेतु स्त्री–पुरुष में लैंगिक दायित्वों का विभाजन हुआ और समाज स्वस्थ एवं सन्तुलित रहा।

परिवर्तन की प्रक्रिया में समाज धीरे–धीरे विकसित होता गया तथा श्रम–विभाजन सरल से जटिल एवं जटिलतम होता चला गया। स्त्रियों की भूमिकायें उनके जन्म से ही तय कर दी गयी तथा उन्हें समाज द्वारा सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी (ओकले, 1974)। यहाँ यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि आरम्भिक आदिम समाज से लेकर सामन्तवादी समाज तक महिलाओं के लिए सुनिश्चित किये गये प्रकार्य कदाचित उचित थे, क्योंकि इस काल में जब विज्ञान के क्षेत्र में नाममात्र को ही प्रगति हुई थी तब मानव जीवन अत्यधिक कठिन था तथा जब स्त्री–पुरुष मिलजुल कर परिश्रम करते थे, तभी भोजन उपलब्ध हो पाता था, परन्तु औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के पश्चात् समाज में आर्थिक तथा वैज्ञानिक प्रगति तीव्रता से हुई, भौतिक संस्कृति भी अत्यधिक विकसित हुई,जिसके परिणामस्वरूप जन साधारण का जीवन स्तर भी ऊँचा होने लगा। मूल्यों, मान्यताओं, परम्पराओं, विश्वासों तथा रीति–रिवाजों में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे पर महिलाओं के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व जो प्राचीनकाल से चले आ रहे थे वे वैसे के वैसे ही रहे जिसके परिणामस्वरूप प्रायः महिलायें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ गयीं। गृहकार्यों में ही संलग्न रहने के कोरण उनका शैक्षिक स्तर, व्यवसायिक स्तर तथा स्वास्थ्य का स्तर पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक निम्न रहा। ये महिलाएँ निर्बल वर्ग की श्रेणी में आ गयीं। निर्बल होने के कारण ये महिलायें उत्तरोत्तर असुरक्षित होती गयी। वर्तमान युग में भारत में महिलायें न तो घर की चार दीवारी में सुरक्षित हैं और न ही घर के बाहर। प्रस्तुत प्रपत्र का मुख्य उद्देश्य भारत की महिलाओं में असुरक्षा के स्तर का अध्ययन करना है तथा यह जानने का भी प्रयास करना है कि वो कौन से कारण हैं जो महिलाओं को असुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही यह भी अध्ययन करने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने के क्या उपाय हैं? यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जिनमें विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स, पुस्तकों, जर्नल्स तथा वेबसाइट्स का अध्ययन किया गया है।

भारत में महिलाओं की प्रस्थिति

अधिकांश समाजों में, विशेषकर भारतवर्ष में महिलाओं और पुरुषों में असमानता एक प्रमुख विसंगति है। स्त्रियों के सन्दर्भ में अध्ययन करने के पूर्व वे जिस समाज में रहती हैं उसके सामाजिक ढाँचे को समझना आवश्यक है। समाज की परम्पराएँ, आदर्श, मूल्य तथा विश्वास महिलाओं की प्रस्थिति को प्रभावित करते हैं। पितृसत्तात्मक मूल्यों तथा परम्परागत संस्थाओं पर आधारित होने के कारण भारत में महिलाओं की अच्छी,आज्ञाकारी और त्याग करने वाली बेटी, बहू और पत्नी के रूप में ही सामाजिक स्वीकार्यता है। उन्हें सामाजिक रीति–रिवाजों व समाजीकरण के माध्यम से इस प्रकार ढाला जाता है कि वे सामाजिक ढाँचे के अन्तर्गत होने वाली असमानताओं, अधीनता और शोषण आदि का विरोध न करें (हसनैन, 2011)। परिवारों में स्त्रियों में इस प्रकार का समाजीकरण उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देता हैं, वे समझ ही नही पाती कि उनका शोषण हो रहा है और अपने ही परिवार में असुरक्षित हो जाती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतयः संयुक्त परिवार पाये जाते हैं जिन्हें सम्पत्ति, संयुक्त खर्चों में हिस्सेदारी, आवास तथा

***असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी**

रसोई में समान अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में महिलाएँ कठोर प्रतिबन्धों के अधीन होती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका नही के बराबर होती है, वे प्रायः अपनी सास अथवा जेठानी के अधीन होती हैं। परिवार में उनकी प्रस्थिति, उनके द्वारा दहेज में लाये गये धन, पारिवारिक अर्थव्यवस्था में उसके पति के योगदान तथा उसके द्वारा जन्में पुत्रों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे परिवारों में महिलाएँ अत्यधिक असुरक्षित होती हैं वे प्रायः परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित रहती हैं।

भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। जाति प्रथा की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए पितृसत्तात्मक मूल्यों और धार्मिक ग्रन्थों से प्रेरित होकर समाज में महिलाओं के विरुद्ध ऐसे नियम तथा मानदण्ड बनाये गये जिसका पालन करते–करते महिलाओं की स्वतन्त्रता लगभग समाप्त हो गयी, उनके जीवन के सभी निर्णय उनके परिवार के पुरुष लेते हैं, जैसे उनकी शिक्षा, व्यवसाय, विवाह तथा सन्तानों की संख्या इत्यादि। जाति निरन्तरता को बनाये रखने के लिए अन्तर्जातीय विवाह पर निषेध लगाया गया।

इस प्रकार स्त्रियों पर निम्न प्रकार से नियन्त्रण रखा गया–

- सम्पत्ति एवं संसाधनों में उनको उत्तराधिकारी न मानना।
- पर्दा प्रथा जैसे रिवाजों के द्वारा स्त्रियों को समाज से अलग कर घरेलू जीवनचर्या तक सीमित कर देना।
- रीति–रिवाजों और प्राचीन आदर्शों द्वारा उनका समाजीकरण।
- विवाह के माध्यम से गृहस्थ जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु उनका प्रयोग होना।
- मासिक धर्म सम्बन्धी मान्यताएँ, शरीर के प्रति लज्जा बोध की प्रवृत्ति, कम उम्र में विवाह, केवल महिलाओं के लिए कठोर एक पुरुष व्रत और स्त्री का मूल्यांकन विवाह और परिवार विशेषकर कई पुत्रों की मॉ के रूप में सीमित कर दिया जाना।

उपरोक्त प्रतिबन्ध उच्च जाति की महिलाओं पर निम्न जाति की महिलाओं की तुलना में अधिक कठोरतापूर्वक लागू किये जाते हैं और उन्हें कम सांस्कृतिक स्वायत्तता होती है। 'पुरुष ही वंश चलाते हैं' यह मान्यता भारतीय समाज में इतनी गहराई तक व्याप्त है कि प्रत्येक दम्पत्ति तब तक बच्चे पैदा करता है जबतक लड़का जन्म न ले ले। भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण अकेला पुत्र पैदा होने पर उसके जीवित रहने में माता–पिता को सन्देह बना रहता है, इसलिए प्रायः वैकल्पिक पुत्र का भी प्रयास रहता है। इस प्रकार विवाह के पश्चात् महिलाएँ छोटे–छोटे अन्तराल में अनेक बच्चों को जन्म देती हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महिला के जीवन का अधिकांश भाग बच्चों को जन्म देने में तथा उनका लालन–पालन करने में व्यतीत हो जाता है, परिणामस्वरूप वह स्वयं की उन्नति के लिए सोच ही नहीं पाती। यदि महिलाएँ घर के बाहर कार्यरत हैं तो भी उपरोक्त पारिवारिक दायित्वों का वहन उन्हें स्वयं ही करना पड़ता है जिसके कारण उन पर कार्य का बोझ बढ़ जाता है। कई सर्वेक्षणों द्वारा ज्ञात हुआ है कि कार्योजित महिलाओं को भी घर में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतन्त्रता नहीं होती हैं।

भारत में सामान्यतया विधवा होना भी एक सामाजिक अभिशाप है और उच्च जाति के हिन्दुओं में तो यह विशेष रूप से प्रभावी हैं। पारम्परिक रूप से विधवाओं को अशुभ माना गया है और शुभ कार्यों में उनकी भागीदारी को, आज भी समाज का बड़ा हिस्सा अवांछित समझता है। भारत में महिलाओं की प्रस्थिति ऐसी है कि वे जीवन की प्रत्येक आयु में पुरुषों पर निर्भर करती हैं, विवाह के पूर्व पिता या बड़े भाई पर, विवाह–उपरान्त पति तथा श्वसुर पर तथा वृद्धावस्था में पुत्र पर निर्भर करती हैं। वे महिलाएँ जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं उन्हे भी सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप स अपने परिवार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। महिलाओं के लिए समाज के नियम इतने कठोर हैं कि उन नियमों को तोड़ना आज भी भारतीय स्त्री के लिए लगभग असम्भव है। ऐसे सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश में प्रायः महिलायें कमजोर, अशिक्षित अथवा अल्प शिक्षित, अस्वस्थ, कुपोषित, निर्धन तथा परतन्त्र रह जाती हैं इन्हीं अभावों तथा भेदभावों के कारण वे अत्यन्त कमजोर तथा असुरक्षित हो जाती हैं क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो जितना ही कमजोर होता है वह उतना ही असुरक्षित होता है।

भारत को स्वतन्त्र हुए 71 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश में महिलाएँ स्वतन्त्र एवं सुरक्षित नहीं हैं। हर रोज महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों की अनेकों घटनाएँ घटित हो रही हैं। महिलाओं को हर रोज घरेलू हिंसा, बलात्कार, अपमान, भ्रूणहत्या, यौनशोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक गन्दा चेहरा है। महिलाएँ लगातार हिंसा का शिकार हो रही हैं, इसमें सबसे ज्यादा मामले दुष्कर्म के हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं है कि इस सदी में भारत में महिलाएँ सर्वाधिक असुरक्षित हैं।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, यौन शोषण एवं उत्पीड़न

महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध कोई आज के युग की ही घटना नहीं है, वरन् प्राचीन भारत में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत काल हो चाहे, रामायण काल, स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा के अनेक उदाहरण साहित्यों में वर्णित हैं। विधवाओं को भारत में अनेक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा तथा नाना प्रकार के कष्ट दिए जाते रहे हैं। दहेज को लेकर नारी को जला देने या हत्या कर दना आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। सतीत्व के नाम पर

महिलाओं को इस देश में जिन्दा जलाया जाता रहा है। इस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषण, उनके साथ बलात्कार, उन्हें बहला–फुसलाकर भगा ले जाना एवं वेश्यावृत्ति के लिए उन्हें बेच देना, उनके साथ मारपीट एवं गाली–गलौज करना आदि महिला अपराध के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले कुछ प्रमुख आपराधिक कृत्य निम्नलिखित हैं–

1) दहेज– इण्डियन नेशनल क्राइम व्यूरो के अनुसार सन् 2012 में दहेज सम्बन्धी मृत्यु के 8233 मामले दर्ज हुए जो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक हैं। इन आँकड़ों का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक 90 मिनट में देश में एक विवाहिता दहेज के कारण जान गवाँ देती है। यद्यपि दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में दहेज मांगना या देना कानूनी अपराध है, परन्तु फिर भी दहेज लेना और देना उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। लड़के वाले आज भी बेखौफ दहेज की मांग रखते हैं और धनी लोग आज भी बिना संकोच अधिक से अधिक दहेज देकर अपनी कन्या के लिए अच्छा वर खरीद लेते हैं। दहेज सम्बन्धी मृत्यु पूरे भारत में सर्वाधिक पाँच राज्यों में हैं– उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश। 21वीं सदी में दहेज प्रथा एक बहुत ही क्रूर रूप ले चुकी है, यह ऐसा अभिशाप है जियके कारण कोई भी माता–पिता पुत्री के जन्म पर खुश नहीं होते क्योंकि पुत्री के जन्म लेते ही यह चिन्ता हो जाती है कि उसके विवाह में दहेज जुटाना है। दहेज जैसी कुप्रथा ने महिलाओं को विवाह के पूर्व भी और विवाह के पश्चात् भी असुरक्षित कर दिया है। दहेज के डर से बहुत से दम्पत्ति गर्भ में ही लिंग पता कराकर भ्रूण हत्या करवा देते हैं। यदि कन्या सुरक्षित जन्म ले भी लेती है तो उसके लालन–पालन में उसकी उपेक्षा की जाती है उदाहरण के लिए कन्या को खर्चीली शिक्षा न देना, पोषित आहार न देना तथा अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान न करवाना इत्यादि। कन्या के पालन–पोषण में कम से कम निवेश इसलिए किया जाता है क्योंकि दहेज जुटाना होता है। कन्या को 'पराया धन' समझा जाता है। कन्या को किस तरह बोझ समझा जाता है यह उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित इस कहावत से परिलक्षित होता है।

बिन मारे बैरी मरै, ठाड़े ऊख बिकाए।
बिन ब्याही बिटिया मरै, इह सुख कहाँ अमाय।

अर्थात् बिन मारे अगर दुश्मन स्वयं ही मारे जाये, यदि खेत में खड़े गन्ने ऐसे ही बिक जाएँ और यदि अविवाहित बेटी मर जाये तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। कहावत अनुसार अविवाहित कन्या का दहेज इतना बड़ा बोझ है कि इसे जुटाने से कहीं ज्यादा सुख लोगों को कन्या के मर जाने से प्राप्त होता है। इस कहावत से ही महिलाओं की उपेक्षा एवं असुरक्षा के स्तर को जाना जा सकता है।

2) बलात्कार– महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार वर्तमान समय की एक घिनौनी सच्चाईहै। बलात्कार का मतलब है कि जबरदस्ती किसी महिला के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना। इसके पीछे पुरुषों की गन्दी मानसिकता एक बहुत बड़ा कारण है, वो अपनी वासना को शान्त करने के लिए बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे निन्दनीय कार्यों को अंजाम देने से बिल्कुल नहीं कतराते। सामूहिक बलात्कार की घटनाएँ अब हमारे देश में आम हो गयी है, हालाँकि बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने के लिए देश में कई कठोर कानून बनाये गये हैं, बावजूद इसके बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएँ होती ही रहती हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक 2016 में देशभर में बलात्कार के 34651 मामले दर्ज हुए। 2015 में सह संख्या 25 हजार थी। एक साल में दस हजार की वृद्धि। बलात्कार का शिकार होने वालों में तीन साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बुजुर्ग महिलाएं रही हैं, जिसका अर्थ है कि इस अपराध के प्रति कानून भले ही कितने कड़े हो गये हों, लेकिन अपराध करने वालों को कानून का बिल्कुल भय नहीं है। बलात्कार के डर से लड़कियों और महिलाओं को अकेले आने–जाने की स्वतन्त्रता नहीं मिलती। यहाँ तक कि यह अपराध घर में भी रिश्तेदारों द्वारा किये जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि महिलाएँ घर और घर के बाहर दोनों जगह असुरक्षित हैं।

3) घरेलू हिंसा– घरेलू हिंसा की जड़ें हमारे समाज तथा परिवार में गहराई तक जम गई हैं। घरेलू हिंसा की घटनाएँ कितनी व्यापक हैं, यह तय कर पाना मुश्किल है। घरेलू दायरेमें की गयी हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध हैं, ये सभी चीजें घरेलू हिंसा में शामिल हैं। घरेलू हिंसा महिलाओं के लिए एक ऐसा दर्द बन चुका है जिसकी कोई दवा नहीं है, वर्तमान समय में यह एक आम बात हो गयी है जिसका सामना दिन–प्रतिदिन हजारों महिलाओं को करना पड़ता है जिसने महिलाओं के आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया है।

4) यौन शोषण– यौन शोषण सदियों से हमारे समाज में पैर पसारे हुए है लेकिन वर्तमान समय में यौन शोषण से सम्बन्धित घटनाएँ दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। किसी के द्वारा जबरदस्ती यौन सम्बन्धी गतिविधियों में शामिल होने के लिए दबाव बनाना यौन शोषण कहलाता है। मतलब यह है कि यदि आप पर कोई गलत टिप्पणी कर रहा है, आपके शरीर को आपकी इच्छा के खिलाफ छू रहा है, भद्दे मजाकिया चुटकुले सुना रहा है या आपको फोन करके भद्दी बातें या धमकियाँ दे रहा है, तो यह सब यौन शोषण के ही दायरे में आते हैं। वर्तमान समय में हर उम्र की महिलाएँ यौन शोषण का शिकार हो रही हैं चाहे वे युवा हों या नाबालिग बच्चियाँ। यौन शोषण का सामना सबसे अधिक स्कूल–कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां और कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं को करना पड़ता है।

5) भ्रूण हत्या– भारत में प्राचीन समय से ही कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कन्या भ्रूण हत्या, लड़कों को प्राथमिकता देने तथा कन्या जन्म से जुड़े निम्न मूल्य के कारण जानबूझकर की गयी कन्या भ्रूण की हत्या है। ये प्रथाएँ

उन क्षेत्रों में होती हैं जहाँ सांस्कृतिक मूल्य लड़के को लड़की की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार जैसे कि अल्ट्रासाउण्ड स्कैन के द्वारा मॉ के गर्भ से ही बच्चे का लिंग परीक्षण करके उससे यह पता लगाना कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की और अगर लड़की हुई तो उसे गर्भ में ही खत्म करने को कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। भ्रूण हत्या एक गम्भीर अपराध के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए चिन्ता का विषय भी है। महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध अब बड़े मुद्दे बन चुके हैं और अब कन्या भ्रूण हत्या को अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि महिलाएँ हमारे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्त और कड़े कानून निश्चित रूप से आवश्यक हैं क्योंकि मौजूदा कानून न्याय और अपराधी को उचित सजा दिलाने में अक्षम साबित हुए हैं, लेकिन इस समय की वास्तविक आवश्यकता पुरुषों के दिमाग और विवेक में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना है ताकि वे महिलाओं को यौन सुख की वस्तुओं के रूप में देखना बन्द कर दें।

थॉमसन रॉयटर्स फाउण्डेशन द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात होता है कि जहाँ दुनियाभर में 20 फीसदी महिलाओं के अपने नाम पर जमीन है, वहाँ भारत में 10 फीसदी महिलाएँ जमीन की मालिक हैं। महिला हत्या दर के मामले में भारत दुनिया भर में सबसे ऊपर है। जनसंख्या की बात करें तो पुरुषों की संख्या यहाँ महिलाओं से 3 करोड़ 70 लाख ज्यादा हैं। 27 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पूर्व कर दी जाती है और यह तथ्य इस सन्दर्भ में भारत को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करता है। 26 जून, 2018 को जारी थॉमसन रॉयटर्स फाउण्डेशन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के दिल्ली शहर में चलती बस में एक छात्रा के बलात्कार और फिर उसकी हत्या को पाँच साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उस हत्या के बाद देशभर में फैले आक्रोश के बीच सरकार ने इस समस्या से निपटने का संकल्प लिया था, लेकिन भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में कोई कमी नहीं आई, प्रतिदिन इस प्रकार के घिनौने अपराध और अत्याचार महिलाएँ सह रही हैं। यही नहीं अब महिलाओं के प्रति हिंसा में भारत पहले पायदान पर पहुँच गया है (वेबसाइट)।

देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की होती है। यदि आधी जनसंख्या शोषित, उपेक्षित तथा असुरक्षित रहेगी तो देश का सर्वांगीण विकासा असम्भव है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता अत्यधिक अनिवार्य है, उनकी सुरक्षा समाज की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि वह समाज की निरन्तरता को बनाये रखती हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **'तीन ई'** पर प्रयास केन्द्रित करने चाहिए जो इस प्रकार हैं–**1) एजुकेशन, 2) एम्पावरमेण्ट तथा 3) एनफोर्समेण्ट ऑफ लॉ।** लड़कियों की शिक्षा के साथ–साथ लड़कों को लैंगिक बराबरी के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु और अधिक प्रयास किये जाने चाहिए। उन कानूनों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए जो मौजूद हैं पर प्रयोग में नहीं लाए जाते। महिलाओं को अपनी सुरक्षा से सम्बन्धित सभी कानूनों की जानकारी होनी चाहिए यही नहीं उन्हें उन कानूनों का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. हैरलम बॉस एम, तथा हेल्ड, 2000, *सोशियोलॉजी, थीम्स एण्ड पर्सपेक्टिव्स*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
2. जी0पी0 मरडॉक 1949, *सोशल स्ट्रक्चर*, न्यूयार्क।
3. पारसंस टी0,1959, *दी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दि फैमिली, दि फेमिली, ईट्स फंक्शन्स एण्ड डेस्टिनी*, आर0एम0 अन्शेन द्वारा सम्पादित, न्यूयार्क।
4. ओकले ए, 1974, *हाउस वाइफ*, एलेन लेन, लण्डन।
5. हसनैन नदीम, 2011, *समकालीन भारतीय समाज, एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य*, भारत बुक सेण्टर, लखनऊ।
6. http://www.manchistaan.com/society/growing-crime-against-women/3452/
7. http://satyagrah-scrosssll.in/article/117444/how-india-become-the-worlds-most-dangerous-country-for-women.
8. http://www.indiaspendhindi.com/cover-story/%a4%ae%%a4%b9%et%eo%a4%b2%eo%a4%